UPKJ010008732026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)

कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी– हरि प्रसाद (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6489

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–356/2026

1. विटोला पत्नी इतवारी,
2. रूवी पत्नी सुरेश,
3. रविता पत्नी उमेश,

निवासीगण ग्राम तुलापुर्वा थाना ठठिया, जिला कन्नौज।

.....अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० राज्य **.....अभियोजन पक्ष।**

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–425/2022
राज्य बनाम विटोला आदि
धारा–323,395 भारतीय दण्ड संहिता
थाना ठठिया, जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

1. आवेदिकागण/अभियुक्तागण **विटोला, रूवी व रबिता** की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तागण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तागण द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें उपरोक्त मुकदमा में गलत व झूंठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण द्वरा न तो घर में घुसकर मारा पीटा गया है न ही कोई लूट की गयी है। अभियुक्तागण महिलायें है। अतः अन्य कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. परिवाद कथानक के अनुसार दिनांक 21.10.2019 सुबह 6 बजे परिवादिनी अपने दरवाजे पर बैठी थी तभी उसके दरवाजे पर लगे हैण्ड पाइप पर पानी भरने के लिये रूबी पत्नी सुरेश आयी। नल के पास ह गंदगी फैलाने लगी। उसने कहा पानी भर लो गन्दगी न फैलाओं तो कहने लगी अभी तेरे घर में गन्दगी फैलाउंगी अपने घर गई और कुछ समय बाद अपने साथ उमेश, सुरेश पुत्रगण इतवारी, बिटोला पत्नी इतवारी, रविता देवी पत्नी उमेश व झबल्लो पुत्री इतवारी को मय लाठी–डण्डो व तमंचों के साथ लेकर आयी और आते ही सभी लोग परिवादिनी के घर में घुस आये और मारपीट करने लगे उमेश व सुरेश ने परिवादिनी के पेट में तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके गले में पड़ी सोने की जंजीर वजन दो तोला व अंगूठी सोने की लूट ली। परिवादिनी ने 100 नम्बर पर फोन करने की बात कही तो परिवादिनी का मोबाइल छीन लिया जिसमें सिम नं०–7345580046 आइडिया का था लूट

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.01 11:19:50 IST
Reason: BAIL ALLOWED
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

लिया और जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

4. मैंने आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. मामला परिवाद पर आधारित है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है। अभियोजन या परिवादी की ओर से अभियुक्तागण किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्धि का कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्तागण द्वारा दौरान अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। परिवादिनी के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में कोई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

6. अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदिकागण/अभियुक्तागण का उक्त जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिकागण/अभियुक्तागण **विटोला, रूवी व रबिता** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक द्वारा **50,000/–(पच्चास हजार रूपये)** की **दो** जमानत तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर रिहा किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा इस आश्यय का अंडरटेकिंग भी दाखिल किया जाये कि–

अ– मामले के प्रत्येक सुनवाई पर वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगें।

ब– अभियुक्तगण आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंकन के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगें।

स– साक्षीगण के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगें।

द– साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगें।

उपरोक्त शर्तों के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित किया जा सकेगा।

दिनांक–30.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या–1 कन्नौज।
J.O.CODEUP6489